एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियमन 2014

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

समग्र संस्थान

प्रश्न	स्पष्टीकरण
➢ क्या बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएड पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान समग्र संस्थानों के मानदंड के अंतर्गत आते हैं?	➢ एनसीटीई विनियम 2014 के प्रयोजन के लिए, सामाजिक विज्ञान/विज्ञान/मानविकी/वाणिज्य में स्नातक या/और स्नातकोत्तर कार्यक्रम (बीए, बीएससी, बीकॉम/एमए, एमएससी, एमकॉम आदि) प्रस्तुत करने वाले किसी भी संस्थान को एक समग्र संस्थान माना जाता है। ➢ अध्यापक शिक्षा में दो या दो से अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला कोई संस्थान भी समग्र संस्थान के मानदंडों को पूरा करता है।
➢ क्या बीसीए, बीबीए और बीएड चलाने वाले संस्थान समग्र संस्थानों के मानदंड के अंतर्गत आते हैं?	➢ यदि बीसीए, बीबीए और बीएड कार्यक्रम ऐसे संस्थान में चल रहे हैं, जो मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत करता है, तो संस्थान को एक समग्र संस्थान माना जाएगा, जबकि यदि ये कार्यक्रम किसी तकनीकी संस्थान में चल रहे हैं, तो इसे एक समग्र संस्थान नहीं माना जाएगा।
➢ क्या किसी सोसायटी को, जो दो या दो से अधिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ एक नया अध्यापक शिक्षा संस्थान खोलने का प्रस्ताव रखती है, एक समग्र संस्थान माना जाएगा?	➢ हां, इसे प्रस्तावित समग्र संस्थान माना जाएगा। समग्र संस्थान के रूप में जारी रहने के लिए इसे दो कार्यक्रमों (शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, प्री-स्कूल शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, एमएड आदि) के लिए मान्यता प्राप्त करनी होगी। ➢ इसके अलावा, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित के विभागों वाला कोई मौजूदा विश्वविद्यालय या कॉलेज एक या अधिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रवेश मानदंड

प्रश्न	स्पष्टीकरण
➢ क्या बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री में 50% अंकों का अर्थ कुल मिलाकर 50% अंक है, अर्थात ऑनर्स विषय के कुल अंकों का 50% + उत्तीर्ण विषय या केवल ऑनर्स विषय में 50% अंक?	➢ बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता अंक या तो विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी/वाणिज्य में स्नातक डिग्री और/या स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 50% अंक (अर्थात उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित सभी विषयों में कुल अंकों का योग), या 55% अंकों के साथ विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता सहित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक, या इसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता है।

➢ क्या कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाला, लेकिन ऑनर्स विषय में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है?	➢ हां, ऐसा उम्मीदवार बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं, क्योंकि इसके लिए कुल मिलाकर 50% अंक की आवश्यकता है।
➢ क्या ऑनर्स विषय में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाला, लेकिन स्नातक डिग्री में कुल मिलाकर 50% से कम अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है?	➢ नहीं, ऐसा उम्मीदवार बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए कुल मिलाकर 50% अंक की आवश्यकता है।

मान्यता

प्रश्न	स्पष्टीकरण
➢ क्या एनसीटीई के पास लंबित एकल संस्थानों के आवेदनों पर मान्यता के लिए विचार किया जाएगा?	➢ हां, मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया-विनियमन 2014 के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा एकल संस्थानों के लंबित आवेदनों पर विचार किया जाएगा। तथापि, संस्थान को धीरे-धीरे, अधिमानतः 2016-17 सत्र में, समग्र संस्थान के रूप में परिवर्तित होने के लिए कहा जाएगा।
➢ क्या एनसीटीई मानदंड 2014 की अधिसूचना से पहले अध्यापक शिक्षा में नए कॉलेजों/पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनों को पुराने मानदंडों के अनुसार मान्यता दी जाएगी?	➢ नहीं, उनकी मान्यता के मामले पर मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया विनियम 2014 के अनुसार विचार किया जाएगा।
➢ क्या एक ही प्रयास में कई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता दी जाएगी?	➢ हां, मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 के अनुसार, सभी मानदंडों को पूरा करने के अधीन एक प्रयास में कई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता दी जाएगी। यदि किसी नए आवेदक को केवल एक कार्यक्रम के लिए मान्यता मिलती है तो वह एकल अध्यापक शिक्षा संस्थान शुरु नहीं कर सकता है। तथापि, कई विभागों वाला कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय एनसीटीई द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर एक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है और उसे चला सकता है।
➢ क्या मौजूदा संस्थानों को मान्यता के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा?	➢ नहीं, उन्हें मान्यता के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उन्हें नए विनियम 2014 के अंतर्गत आने की अपनी इच्छा दर्शाते हुए, और अधिमानतः 2016-17 तक समग्र संस्थान बनने के लिए आगे कार्यवाही करने के लिए निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा (यदि वे समग्र संस्थान के रूप में विचार किए जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं)।

➢ क्या एनसीटीई मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता/अनुमति प्रदान करेगा, भले ही संबंधित राज्य सरकार द्वारा नए कार्यक्रम (कार्यक्रमों) पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो?	➢ नहीं, मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/संबद्धता निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना पूर्व-आवश्यकता है।
➢ मौजूदा संस्थानों को मान्यता का संशोधित आदेश किस प्रकार प्रदान किया जाएगा?	➢ मान्यता का संशोधित आदेश प्राप्त करने के लिए मौजूदा संस्थानों को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उन्हें निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और शपथ पत्र के आधार पर उन्हें एनसीटीई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संशोधित मान्यता पत्र जारी किया जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप मौजूदा संस्थानों को उपलब्ध करा दिया गया है।
➢ राज्य सरकार/संबद्धता प्रदान करने वाली निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए कौन आवेदन करेगा?	➢ संबंधित आवेदक संस्थान संबद्धता करने वाली निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करेगा और इसे आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा। तथापि, राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के मामले में, क्षेत्रीय समिति संबंधित सरकार को समिति को अपना निर्णय बताने के अनुरोध के साथ आवेदन अग्रेषित करेगी।
➢ क्या मान्यता/अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ संबद्धता प्रदान करने वाली निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्रस्तुत करना होगा?	➢ हां, मान्यता/अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ संबद्धता प्रदान करने वाली निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्रस्तुत करना होगा।
➢ क्या मौजूदा संस्थानों को मौजूदा कार्यक्रमों के लिए संशोधित दरों के अनुसार बंदोबस्ती निधि (ईएफ)/ आरक्षित निधि (आरएफ) जमा करना है?	➢ हां, यदि मौजूदा संस्थानों ने अपने द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित तरीके से बंदोबस्ती निधि (ईएफ) और आरक्षित निधि (आरएफ) को बनाई नहीं रखी है, तो उन्हें संशोधित दरों पर बंदोबस्ती और आरक्षित निधि जमा करनी होगी। मौजूदा कार्यक्रमों के संबंध में, यदि बंदोबस्ती निधि (ईएफ) और आरक्षित निधि (आरएफ) पहले से ही बनाई रखी है, तो संस्थानों को शेष राशि को एफडीआर के रूप में बैंक में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
➢ चूँकि सोसायटी मूल संस्था है और संस्थान को कार्यक्रम चलाने के लिए भूमि और भवन आबंटित करती है, तो क्या मान्यता के लिए संस्था के नाम पर भूमि और भवन का हस्तांतरण आवश्यक है? यदि हाँ, तो जब कोई सोसायटी किसी कारण से संस्थान को बंद करना चाहती है, तो उसे भूमि कैसे वापस मिलेगी?	➢ आवेदन के समय, सोसायटी/संस्थान के पास अपेक्षित अवसंरचना (स्वामित्व के आधार पर या सरकार या सरकारी संस्थान से पट्टे के आधार पर भूमि और भवन) होना चाहिए। यदि भूमि सोसायटी के नाम पर है, तो उसे औपचारिक मान्यता आदेश जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर संस्थान के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। तथापि, यदि मामले में कोई कठिनाई है, तो सोसायटी क्षेत्रीय समिति को सूचित करेगी। यदि संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी संस्थान को बंद करना चाहती है, तो उसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जब एनसीटीई की

	संबंधित क्षेत्रीय समिति संस्थान को बंद करने का अनुमोदन प्रदान करती है, तो सोसायटी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूमि को अपने नाम पर स्थानांतरित करवा सकती है।

संस्थान का स्थानांतरण

प्रश्न	स्पष्टीकरण
➢ क्या मौजूदा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम/संस्थान को राज्य के किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित/परिवर्तित किया जा सकता है या किसी एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रखा जा सकता है?	➢ इसे विनियम 8(10) में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति की अनुमति के अधीन राज्य में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
➢ यदि कोई संस्थान एक जिले में डीएलएड कार्यक्रम चला रहा है और समग्र संस्थान बनने के लिए वहां स्थानांतरण चाहता है, जहां उसका बीएड कार्यक्रम स्थित है (अन्य जिले/स्थान पर), तो क्या इसकी अनुमति दी जाएगी?	➢ हां, निर्धारित अवसंरचनात्मक मानदंडों और अनुदेशात्मक मानदंडों के अंतर्गत उसे उसी राज्य में अनुमति दी जा सकती है। संस्थान निर्धारित प्रारूप में संबंधित क्षेत्रीय समिति को कार्यक्रम/संस्थान को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करेगा।

प्रवेश

प्रश्न	स्पष्टीकरण
➢ किसी संस्थान को अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए कितनी इकाइयाँ आबंटित की जा सकती हैं?	➢ विनियम 9 के अनुसार, प्रारंभ में किसी संस्थान में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अधिकतम प्रवेश दो इकाइयाँ होगा, जिसमें प्रति इकाई 50 छात्र होंगे, अर्थात 2-वर्षीय पाठ्यक्रम में कुल संख्या केवल 200 होगी। तथापि, बाद में (2-वर्षीय कार्यक्रम के लिए) 200 से 300 से अधिक अतिरिक्त प्रवेश के लिए, संस्थान के पास विनियम, 2014 के अनुसार अतिरिक्त अवसंरचना (भूमि और भवन) होना चाहिए।
➢ क्या 100 छात्रों की एक इकाई वाले मौजूदा संस्थानों को 2015-16 सत्र के लिए 100 छात्रों (2 इकाइयों के रूप में) को प्रवेश देने की अनुमति दी जाएगी?	➢ हां, 31 अक्तूबर, 2015 तक अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र/अवसंरचना के प्रावधान के अधीन इसकी अनुमति दी जा सकती है। संस्थान एक या दो इकाइयों का विकल्प चुन सकता है। यह क्षेत्रीय समिति को निर्धारित प्रारूप में एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर संशोधित मान्यता पत्र/आदेश जारी किया जाएगा।
➢ क्या दो इकाइयों वाले मौजूदा संस्थानों (200 छात्रों की क्षमता के साथ) को चार इकाइयां चलाने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे अपेक्षित अवसंरचना और शिक्षण स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं?	➢ प्रारंभ में उन्हें केवल दो इकाइयां चलाने की अनुमति होगी (अर्थात एक वर्ष के लिए 100 छात्र तथा दो वर्षों के लिए कुल मिलाकर 200 छात्र)।

कर्मचारी

प्रश्न	स्पष्टीकरण

➢ बीएड कार्यक्रम में 50 विद्यार्थियों की एक इकाई के लिए 8 स्टाफ सदस्य निर्धारित हैं। स्टाफ सदस्यों की संरचना क्या होगी? क्या इसमें कला शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के लिए प्रधानाचार्य और शिक्षक शामिल होंगे?	➢ 50 छात्रों की एक इकाई के लिए, संरचना स्टाफ निम्नप्रकार होगा - प्रधानाचार्य - 01 शिक्षाशास्त्र संबंधित व्याख्याता - 5 स्वास्थ्य/शारीरिक शिक्षा संबंधित व्याख्याता - 01 ललित/प्रदर्शन कला संबंधित व्याख्याता-01 ध्यान दें: यदि प्रधानाचार्य के पास शिक्षणशास्त्र के किसी विषय की पृष्ठभूमि है, तो एक पद बुनियादी पाठ्यक्रम (फाउंडेशन कोर्स) के लिए होगा।
➢ क्या संस्थान द्वारा शिक्षकों की वर्तमान रिक्तियों और भविष्य में होने वाली रिक्तियों को नए विनियम 2014 के अनुसार योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से भरा जाएगा?	➢ शिक्षकों और कर्मचारियों की सभी भावी नियुक्तियां, जिनमें मौजूदा रिक्त पद भी शामिल हैं, विनियम (तथा मानदंड और मानक) 2014 में निर्धारित योग्यता के अनुसार होंगी (मौजूदा शिक्षकों और कर्मचारियों में परिवर्तन किए बिना)।

विविध

प्रश्न	स्पष्टीकरण
➢ क्या अध्यापक शिक्षा का नया कॉलेज शुरु करने या समग्र संस्थान में नया कार्यक्रम शुरु करने की आवश्यकता और अपेक्षा के संबंध में राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है?	➢ हां, नए कॉलेज/तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम शुरु करने की आवश्यकता और अपेक्षा के संबंध में राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है।
➢ सरकार की नए कॉलेज शुरु करने संबंधित प्रतिबंध पर छूट के बिना, क्या एनसीटीई मौजूदा संस्थानों में नए कार्यक्रम शुरु करने की अनुमति देगी, ताकि उन्हें समग्र बनाया जा सके?	➢ राज्य सरकार की नए कॉलेज/कार्यक्रम शुरु करने पर लगाए गए प्रतिबंध में छूट, नए कार्यक्रम शुरु करने के लिए आवश्यक है। तथापि, इस संबंध में निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है।
➢ बीएड और एमएड कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी?	➢ भावी शिक्षकों और अध्यापक प्रशिक्षकों को शिक्षण से जुड़े कौशल विकसित करने, अपनी व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने, शिक्षा में शोध कार्य करने, शैक्षिक पहलुओं की योजना बनाने और प्रबंधन में दक्षता विकसित करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के लिए बीएड और एमएड कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाई गई है। आशा है कि बढ़ी हुई अवधि से बेहतर गुणवत्ता वाले अध्यापक और अध्यापक प्रशिक्षक तैयार होंगे।